<u>जीएसटी अपडेट इस बात पर है कि क्या वस्तुओं को अंडर-वैल्यूएशन के आरोप के लिए हिरासत में लिया जा सकता है?</u>

जीएसटी में ई-वे बिल के बाद से बार-बार देखा जा रहा है, ई वे बिल की मामूली गलतियों के कारण माल को DETAIN किया जा रहा है| हालांकि, हाल ही में यह बताया गया था कि GOODS को DETAIN इसलिए किया जा रहा है कि वैध चालान और ई-वे बिल के साथ माल का अंडर-वैल्यूएशन पाया गया था| SUPPLIER ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में रिट दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी।

वर्तमान update केपी शुगर लिमिटेड के मामले में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर चर्चा करना चाहता है। केपी शुगर लिमिटेड के वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का माल वाहन के साथ जब्त कर लिया गया था उसके पश्चात OFFICER ने CGST अधिनियम 2017 की धारा 129 (3) के तहत MOV-07 जारी करके माल एवं ट्रक जब्त कर दिया गया था, जबकि सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि E-Way, बिल और चालान ऑफिसर को प्रस्तुत किया था। माल को इस आधार पर DETAIN कर लिया गया था कि माल का UNDERVALUATION किया गया है क्योंकि वे उस पर बताए गए एमआरपी (MRP) से कम कीमत पर बेचे जा रहे थे।

माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वाहन को रोका गया था, उस समय ट्रक चालक VALID दस्तावेजों के साथ माल को ले जा रहा था, जिन्हें सामान्यता ट्रांसपोर्ट के द्वारा माल को VALID इनवॉइस और ई-वे बिल में ले जाना चाहिए। इसके अलावा, चालान और ई-वे बिल में उल्लिखित मात्रा और अन्य विवरणों में कोई ERROR नहीं थी। निर्माता द्वारा हमेशा माल का बेचान एमआरपी (MRP) से कम वैल्यू पर ग्राहक या डीलर को बेचा जाता है, माल का का मूल्यांकन कम होने के कारण ऑफिसर माल एवं ट्रक को जब्त नहीं कर सकते हैं| अतः माल का कम मूल्यांकन के आधार पर माल एवं ट्रक को जब्त करना सही नहीं है| अधिक से अधिक INVESTIGATING अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए VALUATION अधिकारी को सूचित कर सकता था। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के मुद्दे पर निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी:

-सकूल नाजा मोहम्मद Vs. स्टेट ऑफ गुजरात (गुजरात हाई कोर्ट)

ALFA ग्रुप Vs . ASSISTANT स्टेट टैक्स ऑफिसर (केरला हाई कोर्ट)

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सारे नियमों का पालन करने के बाद, इस आदेश को रद्द करना ही सही है क्योंकि DETENTION की पूरी कार्यवाही शुरू से ही जीएसटी कानून के उल्लंघन में है। इसलिए, वर्तमान रिट स्वीकार्य है क्योंकि DETENTION और SEIZURE की कार्यवाही गैरकानूनी है।

हमारी राय में, वर्तमान UPDATE में बताए गए निर्णय ऐतिहासिक निर्णय हैं, जो TAXPAYERS को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कर प्रशासन में ASSESEE को विश्वास रखना चाहिए| हमने देखा है कि छोटी-छोटी गलतियों पर भी माल को DETAIN कर दिया जाता है जैसे कि ट्रक नंबर लिखने में कोई गलती हो गई है या बिल और ई वे बिल की डेट में अंतर है या फिर ड्राइवर अलग रूट से माल को ले जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सभी छोटी-छोटी गलतियों के कारण समान को CONFISCATE नहीं किया जा सकता है। इन DECISIONS को ध्यान में रखते हुए MOBILE SQUAD इन छोटी-छोटी गलतियों पर माल को SEIZE नहीं करना चाहिए ।

सभी महामारी की बीमारी से लड़ रहे COVID-19 LOCKDOWN अब खत्म हो रहा है | हम सभी को पूरी सतर्कता के साथ नियमों का पालन करते हुए ऑफिस, दुकान तथा फैक्ट्री मैं काम करना है।अपने स्वास्थ्य को पूरी प्राथमिकता दें।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.